वर्ष 1981 की प्रथम बैठक की कार्यवृत्त ।

निम्न-लिखित उपस्थित थे :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | श्री बी0जे0बोदायजी | | अध्यक्ष |
| (2) | श्री दयानन्द व्यास | सदस्य, विधान परिषद | सदस्य |
| (3) | श्री जे0पी0दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| (4) | श्री जवाहर लाल शुक्ल | अनुसचिव, स्वायत्त शासन, [illegible] विभाग | सदस्य |
| (5) | श्री भगवती प्रसाद वर्मा | प्रबन्ध निदेशक, जल निगम | सदस्य |
| (6) | श्री कमल पाण्डे | आवास आयुक्त | सदस्य |
| (7) | श्री दुर्गा बहादुर श्रीवास्तव | उप सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |

बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

| क्र0स0 | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (1) | दिनांक 25-10-80 को परिषद मुख्यालय पर हुई बैठक के कार्य-वृत्त की पुष्टि । | 1/(1)/81 | बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई |
| (2) | परिषद की बैठक दिनांक 25-10-80 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या । | 1/(2)/81 | परिषद् व्दारा दिनांक 25-10-1980 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-<br>1- परिषद के लिये नया वाहन क्रय करने के संबंध में शासन के शीघ्र आदेश निर्ग[त] करने के लिए अनुरोध किया जाय ।<br>2- सहायक निदेशक(प्रचार एवं जन सम्पर्क) के पद के उच्चीकरण के संबंध में गठि[त] समिति की बैठक इस फरवरी माह में ही कर ली जाय ।<br>3- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के प[द] के सृजन के संबंध में दिनांक 31-1-81 को राजस्व परिषद में हुयी बैठक का प्रभावी अनुसरण करने के निर्देश दिये गये ।<br>4- मुरादाबाद में परिषद व्दारा निर्मित विभिन्न आय वर्ग के भवनों में पुलिस, पी0ए0सी0, सी0आर0पी0व्दारा अनाधिकृत अध्यासन को समाप्त कराये जाने के संबंध में आवास मंत्री जी के स्तर पर एक बैठक का आयोजन आयु[क्त] एवं सचिव, आवास विभाग के माध्यम [से] कराया जाय तथा उसमें यह बल दिया जाय कि उन भवनों से संबंधित बिलों का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में हो [त]था गृह विभाग को लिखित रूप में यह स[ूचित] कर पूछा जाय कि यह भवन कब तक खाली कर दिये जायेगे ।<br>5-अ- राम सागर मिश्र नगर, लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0-75 टाईप के भवनों के प्राविधिक सम्परीक्षण के संबंध में शासन स्तर पर एक बैठक का आयो[जन] कराने के लिये सचिव, सार्वजनिक निर्मा[ण] विभाग को एक अर्धशासकीय पत्र भेजा जाय । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | ब- इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो इस लिये जल निगम की वर्तमान पद्धति के आधार पर एक 'वर्क साइट रजिस्टर' खुलवाया जाय। जल निगम द्वारा जारी किये गये आदेशों को प्राप्त किया जाय और उसी आधार पर अनुपालन कराया जाय ।<br><br>6- लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र नगर कालोनी के रख-रखाव हेतु सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के यहाँ एक बैठक और करायी जाय ।<br><br>7- परिषद के लेखों का 'कम्प्यूटराईज़ेशन' कराने के लिये जल निगम, नियोजन एवं पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली का भी अध्ययन किया जाय ।<br><br>8- 'कारपोरेट प्लान ' परिषद की अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत किया जाय । श्री जे0पी0भार्गव, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के स्थान पर परिषद के मुख्य वास्तुविद् नियोजक को सम्मिलित किया जाय ।<br><br>9- परिषद द्वारा गठित कार्यान्वयन समिति की रिपोर्ट के संबंध में, परिषद ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्देश दिये :-<br><br>अ:- आगरा की कमला नगर योजना में ग्राम लश्करपुर में स्थित करबला कमेटी द्वारा मांगी जा रही 9 एक भूमि के मामले के संबंध में माननीय मंत्री जी से बात कर तिथि निश्चित करायी जाय और इसमें परिषद सदस्य श्री दयानन्द व्यास को भी सम्मिलित किया जाय ।<br><br>ब- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृह-स्थान योजना, बरेली के विकास कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट अगली बैठक में अवश्य प्रस्तुत हो ।<br><br>स- निरंजनपुर टी स्टेट, देहरादून की भूमि पर बनी परिषद की इन्दिरा नगर योजना को नगरपालिका को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर प्रशासक नगरपालिका, देहरादून तथा आवास सचिव को आमंत्रित कर निर्णय कराया जाय ।<br><br>10- निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिये ~~xxx~~ गठित उपसमिति की बैठक मार्च 1981 में बुलायी जाय । |
| 3) | परिषद में सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियन्ताओं में से सहायक अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति के लिये आरक्षण कोटे में वृद्धि । | 17(3)/81 | परिषद ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की किन्तु विनियम-5(2)(सी)में निम्नलिखित जोड़ने के भी निर्देश दिये :- ''While in parishad 's service |

क्र0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4) | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् रेगुलेशन्स फार दी ग्राण्ट आफ हाउस बिल्डिंग एडवान्स टू दि इम्पलाइज़ आफ दि परिषद् 1973 | 1/(4)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्देश दिये कि हाउस बिल्डिंग एडवांस किस प्रकार प्रदान किया जाय, इस संबंध में विचार कर गाइड लाइन्स परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय। इस बात का ध्यान रखा जाय कि एडवान्स पर प्राप्त होने वाला ब्याज ~~इस~~ ब्याज की राशि से कम न हो जो उस धन पर परिषद् विभिन्न संस्थाओं को अदा करेगी। 0.25% कमिशन चार्जेस भी लिए जायें। |
| 5) | परिषद् में ज्येष्ठ वित्त अधिकारी के वेतनक्रम 800-1450 के पद का उच्चीकरण | 1/(5)/81 | परिषद् ने सर्व-सम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की तथा इसका पदनाम मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी भी स्वीकृत किया। |
| 6) | नये खण्डों के सृजन के संबंध में | 1/(6)/81 | परिषद् ने सर्व-सम्मति से इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया तथा दो नये निर्माण खण्ड व एक डिजाइन खण्ड खोलने की स्वीकृति प्रदान की। |
| 7) | उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में। | 1/(7)/81 | परिषद् ने निर्देश दिये कि शासनादेशों के आधार पर कार्यवाही की जाय। विनियमों में संशोधन ब्यूरो के आदेश प्राप्त हो जाने पर ही किया जाय। |
| 8) | परिषद् में लीगल सेल के गठन के संबंध में। | 1/(8)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुये निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की:-<br>1-विधि अधिकारी — एक<br>(हायर जुडीशियल सर्विस के वेतनमान में)<br>2-संदर्भ सहायक — एक<br>(निम्न श्रेणी सहायक के समकक्ष)<br>3-आशुलिपिक — एक |
| 9) | आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवन के प्रदेशन गृहीताओं को पृथक सामान्य किश्त के साथ ली जाने वाली अतिरिक्त धनराशि को भी किस्तों में लिया जाना। | 1/(9)/81 | इस प्रस्ताव के संबंध में परिषद् ने निम्नलिखित निर्देश दिये:-<br>अ- आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के भवनों के संबंध में रुपये 500/= की अतिरिक्त धनराशि को ब्याज सहित 6 वर्ष में समान मासिक किस्तों में वसूल किया जाय। |

कृ०प०उ०

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | ब- आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग वाले प्रदेशनगृहीताओं को तीनों विकल्प दे दिये जाय अर्थात् वे या तो 1500 की धनराशि एकमुश्त जमा करें अथवा ढाई वर्ष में ब्याज सहित 30 मासिक समान किस्तों में जमा करें अथवा 6 वर्ष में मासिक समान किस्तों में ब्याज सहित भुगतान करें।<br><br>स- अल्प आय वर्ग भवनों के जो प्रदेशन-गृहीता 2,000 की धनराशि को भुगतान करने में बहुत अधिक कठिनाई अनुभव करते हों उन्हें भी आवश्यकतानुसार उपयुक्तानुसार छूट दी जाय। |
| 10) | परिषद् द्वारा वर्ष 72-73से 79-80तक प्रदिष्ट सम्पत्तियों की समीकृत किस्तों से प्राप्त धनराशि में सम्मिलित मूलधन एवं ब्याज का सम्पादितवार अलग करने हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था। | 1/(10)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की कि इस हेतु जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाय उन्हें 20/=रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाय, जिन लोगों को नियुक्त किया जाय वे इण्टरमीडिएट में गणित विषय लिये हों। साथ ही उनके दैनिक कार्य का मानक भी निर्धारित कर दिया जाय। परिषद् ने निर्देश दिये कि इस कार्य हेतु सेवानिवृत्त अनुभवी व्यक्तियों को भी रखा जा सकता है। |
| 11) | महौली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 में समाविष्ट यू0पी0कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ की 1.44 एकड़ भूमि के अर्जन से मुक्त करने के संबंध में फेडरेशन का पत्र दिनांक 9-5-1979 पर विचार | 1/(11)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ स्थगित कर दिया कि इसका विधिक परीक्षण कराकर, सहकारिता विभाग एवं संबंधित विकास प्राधिकरणों की राय लेते हुये प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाय। |
| 12) | श्रीमती शान्ति व्यास के प्रार्थना पत्र पर विचार हेतु। | 1/(12)/81 | x परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। |
| 13) | परिषद् द्वारा विभिन्न शहरों में निर्मित आवासीय भवनों में से कुछ फीसदी भवन जरूरतमंद लोगों को तुरन्त आवंटित करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत करना। | 1/(13)/81 | इस प्रस्ताव के संबंध में परिषद् ने निर्देश दिये कि शासन को संदर्भ कर आदेश प्राप्त किये जायं तथा शासन स्तर पर इसका विधिक परीक्षण भी कराया जाय, ताकि सभी शासकीय संस्थाओं में एक सी प्रथा रहे। |
| 14) | निर्माण कार्यों की समीक्षा (30नवम्बर, 1980तक) | 1/(14)/81 | निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुये परिषद् ने निम्नलिखित निर्देश दियेः-<br>1-अ- 31-3-81 तक 10,700 भवनों के निर्माण कार्य की पूर्ति सुनिश्चित कीजाय।<br>ब- 31-3-81 तक3,500 भूखण्डों को विकसित करने का कार्य भी पूर्ण किया जाय।<br><br>2- भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता के संबंध में परिषद् द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 3- निर्मित भवनों में गुणवत्ता( Quality control का पूरा ध्यान रखा जाय तथा क्वालिटी कन्ट्रोल मीज़रस, का कठोर से पालन किया जाय। |
| 15) | ख्वासपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-आगरा का धारा-28 हेतु प्राक्कलन | 1/(15)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की। |
| 16) | जोधाबाई मेमोरियल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आगरा का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन | 1/(16)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव को परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की। जिन नगरों में अरबन-लैण्ड सीलिंग एक्ट के प्राविधान लागू हैं वहाँ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करते हुये अरबन लैण्ड सीलिंग विभाग को भी सूचित कर दिया जाया करें। साइट सेलेक्शन कमेटी भूमि का चयन करते समय इस विभाग के अधिकारियों से भी बात कर लें |
| 17) | भरौली बाजार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, देवरिया का धारा-28 हेतु प्राक्कलन | 1/(17)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की। |
| 18) | गोरा बारिक भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 सुल्तानपुर की धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन | 1/(18)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की |
| 19) | बिलग्राम भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हरदोई का धारा-28 के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्रारम्भिक प्राक्कलन | 1/(19)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की |
| 20) | अयोध्या मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फैजाबाद का धारा-28 के अन्तर्गत प्र ाव एवं प्राक्कलन | 1/(20)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की |
| 21) | कासगंज भूमिविकासएवं गृहस्थान योजना सं0-1 का धारा-28के अन्तर्गत प्रस्ताव एवं प्राक्कलन | 1/(21)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु स्वीकृति प्रदान की |
| 22) | एटा केम्पिंग ग्राउन्ड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन | 1/(22)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की। |
| 23) | भीमताल भूमि विकास एवं गृहस्थान संख्या-1, भीमताल | 1/(23)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की। इस योजना में जल सम्पूर्ति के संबंध में सिंचाई विभाग से संपर्क कर बात-चीत कर ली जाय। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24) | शिकोहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 की विस्तार योजना की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं आगे चलाने का प्रस्ताव | 1/(24)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की। |
| 25) | पतरामपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, जसपुर | 1/(25)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की। |
| 26) | इटावा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 का धारा-31 के अन्तर्गत प्रस्ताव | 1/(26)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 27) | कानपुर झाँसी मार्ग पर 'पटेलनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, उरई । | 1/(27)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| 28) | जालौन उरई मार्ग पर "जालौन भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 जालौन" | 1/(28)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| 29) | औरैया भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 औरैया | 1/(29)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 30) | बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, बाराबंकी | 1/(30)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| 31) | खीरी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखीमपुर खीरी। | 1/(31)/81 | परिषद् ने नियोजन समिति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| 32) | छिबरामऊ भूमि विकास एवं सड़क योजना संख्या-1, छिबरामऊ | 1/(32)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से स्वीकृति प्रदान की। |
| 33) | हरपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बलिया। | 1/(33)/81 | परिषद् ने निर्देश दिये कि इस योजना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर गहराई से विचार करते हुये नियोजन समिति अपनी संस्तुतियाँ पुनः दे। |
| 34) | गोण्डा गिर्द भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना-गोण्डा । | 1/(34)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर परिषद् अधिनियम की धारा-31 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की। |
| 35) | पैसार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2 बाराबंकी | 1/(35)/81 | प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुये, परिषद् ने निर्देश दिये कि पैसार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, बाराबंकी का पुनः सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 36) | आवास एवं विकास परिषद् की देहरादून रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना रुड़की में समाविष्ट खसरा नं0-1171 से 1178तक को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में। | 1/(36)/81 | परिषद् ने सर्व-सम्मति से उपसमि की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया। |
| 37) | हडको द्वारा वित्त पोषित प्रथम कम्पोजिट प्रोजेक्ट बस्ती(स्कीम नं0-1526) | 1/(37)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस्त पर अनुमोदन प्रदान किया । |
| 38) | हडको द्वारा वित्त पोषित प्रथम हडको कम्पोजिट प्रोजेक्ट प्रतापगढ़ स्कीम नं0-1527 | 1/(38)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस्त पर अनुमोदन प्रदान किया । |
| 39) | हडको द्वारा वित्त पोषित कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम नं0-1 रायबरेली (स्कीम नं0-1516) | 1/(39)/81 | परिषद् ने सर्व-सम्मति से इस प्रस् पर अनुमोदन प्रदान किया । |
| 40) | सप्तम् हडको परियोजना, राजाजीपुरम् लखनऊ के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण | 1/(40)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इसप्रस्ता पर अनुमोदन प्रदान किया। |
| 41) | प्रथम हडको परियोजना इज्जतनगर योजना संख्या-1 बरेली | 1/(41)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस् पर अनुमोदन प्रदान किया । |
| 42) | प्रथम हडको परियोजना दमदमा कोठी योजना, मुरादाबाद | 1/(42)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस् पर अनुमोदन प्रदान किया। |
| 43) | राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ(पिकिट्स) में उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण | 1/(43)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्र पर अनुमोदन प्रदान किया । |
| 44) | मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों के आवासों में प्रस्तावित राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए टाइप-चतुर्थ के आवासों के संबंध में। | 1/(44)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव का अवलो किया। |
| 45) | बाराबंकी नगर में दीवानी न्यायालय के प्रांगण में 12 न्यायालय कक्षों एवं 8 आवासीय भवनों का निर्माण | 1/(45)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर अनुमो प्रदान किया । |
| 46) | राम सागर मिश्र नगर योजना, लखनऊ में दसवें परिषद्(आवास) परियोजना के अन्तर्गत 9 मध्यम आय वर्ग तथा 8 अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण के संबंध में। | 1/46)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 47) | राम सागर मिश्र नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-7 में एक अतिरिक्त मध्यम आय वर्ग एम0 ए0 75/1आर-3प्रकार के भवन निर्माण। | 1/(47)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किए |
| 48) | सेक्टर-7, राम सागर मिश्र नगर योजना के रिक्त स्थान में 21 एल0आई0जी0भवनों का निर्माण | 1/(48)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कि |
| 49) | रिवालविंग फण्ड के संबंध में | 1/(49)/81 | परिषद् ने रिवालविंग फण्ड के संबंध में निम्नलिखित की एक उपसमिति गठित की:-<br>1-वित्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो<br>2-वित्त विभाग के प्रतिनिध<br>3-आवास आयुक्त<br>उपर्युक्त समिति रिवालविंग फण्ड के संबंध में बैठक कर अपनी संस्तुतियाँ परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करें। |
| 50) | परिषद् मुख्यालय पर चरित्र पुंजी एवं गोपनीय कोष्ठ की स्थापना के संबंध में। | 1/(50)/81 | परिषद् ने निर्देश दिये कि प्रशा अनुभाग के बढ़े हुये कार्यभार को देखते हुये परिपूर्ण प्रस्ताव पुर्न-विचार कर प्रस्तुत किया जाये। |
| 51) | परिषद् के मुख्यालय पर अभियंत्रण अनुभाग के तकनीकी स्टाफ को विशेष भत्ता देने के संबंध में। | 1/(51)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। |
| 52) | परिषद् अधिनियम में संशोधन | 1/(52)/81 | परिषद् ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की |
| 53) | सोरलेक कंसलटेन्ट प्राइवेट लि0, नई दिल्ली के द्वारा भवन निर्माण का आफर। | 1/(53)/81 | परिषद् ने निर्देश दिये कि विस्तृ परीक्षण कर इस प्रस्ताव के संबं में ठोस प्रस्ताव पुर्नविचार कर प्रस्तुत किया जाये। |
| 54) | परिषद् की मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग गृहनिर्माण योजना के अन्तर्गत विनियमावलियों में प्रस्तुत भूमि का तात्पर्य छत से भी लिया जाना। | 1/(54)/81 | परिषद् ने निर्देश दिये कि इस संबंध में क्या शर्ते, सीमायें तथा बन्धन होंगे, जीवन बीमा निगम की भी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसे भी ज्ञात कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। |
| 55) | परिषद् योजना में प्रयोग किये जाने हेतु केन्द्रित रूपसे प्लाईवुड दरवाजे मैसर्स सीतापुर प्लाईवुड मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड से सीधे क्रय किये जाने का प्रस्ताव | 1/(55)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सिद्धान्त रूप में स्वीकृति प्रदान की। |

कृ0प0उ0

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 56) | राजाजीपुरम(तालकटोरा)योजना के सेक्टर 15-18 तक में जी0एच0कैनाल के साथ मिले प्रस्तावित9मीटर चौडी मुख्य मार्ग हेतु विक्रम काटन तक परिषद् की भूमि के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में। | 1/(56)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और निर्देश दिये कि साइट प्लान ठीक करके अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। |
| 57) | लाजपत राय रोड गृहस्थान योजना लखनऊ। | 1/(57)/81 | परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से धारा-28 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की। |
| 58) | 58व 58-ए प्रागनरायन रोड लखनऊ पर श्री के0सी0मेहन व अन्य की भूमि पर आवास योजना चलाने के संबंध में। | 1/(58)/81 | इस प्रस्ताव पर विचार करते हुये परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित की जो स्थल निरीक्षण कर अपने सुझाव परिषद् के समक्ष प्रस्तत करेंगीः-<br>1-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक<br>2-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम<br>3-प्रशासक, नगरमहापालिका<br>4- सहायक आवास आयुक्त(भूमि) संयोजक |
| 59) | अल्मोड़ा शहर में श्रीमती बसन्ती भट्ट की भूमि को आवास योजना हेतु क्रय करने के संबंधमें। | 1/(59)/81 | सीधी बातचीत द्वारा बात करने के बाद परिषद् ने संस्तुति देने के संबंध में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपसमिति बनाईः-<br>1-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक<br>2-स्थानीय अतिरिक्त जिलाधिकारी<br>3-सहायक आवास आयुक्त(भू0अ0 |
| 60) | अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय | 1/(60)/81 | परिषद् में वर्कचार्ज पर नियुक्त व्यक्तियों की समस्या के संबंध में।<br>परिषद् ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया |

मद संख्या 4 में संशोधन के साथ पुष्टि की गई।

[signature] 24/3/81

अध्यक्ष

24- 3- 1981